



सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय मध्यप्रदेश  
**मध्यप्रदेश समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन**

1250, तुलसीनगर, भोपाल-462003  
फोन-0755-2558391 फेक्स-2552665  
ई-मेल mdcsmssm@gmail.com



क्रमांक/समग्र/2015/153/763  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 09/09/2015

समस्त कलेक्टर (जिला मिशन लीडर)  
मध्यप्रदेश।

विषय :- समग्र पोर्टल पर परिवार का एक स्थान से अन्य स्थान पर विस्थापन (Migration) होने के संबंध में निर्देश।

समग्र पोर्टल पर प्रदेश में निवासरत समस्त परिवार एवं सदस्यों का डेटाबेस तैयार किया गया है। वर्तमान में कई ऐसे परिवार हैं, जो नवीन स्थान रोजगार, स्थानांतरण, पलायन अथवा अन्य किन्हीं कारणों से विस्थापित हो गये हैं। ऐसे परिवारों को पोर्टल पर नवीन स्थान पर हस्तांतरित किया जाना अत्यंत आवश्यक है, जिससे कि विस्थापित परिवार को नवीन स्थान पर समग्र आई.डी. बनाने की आवश्यकता न हो।

2. इस कार्य हेतु राज्य जनसंख्या पंजी पोर्टल पर स्थानीय निकायों की यूजर आई.डी. पर परिवार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित कराने की सुविधा एनआईसी मध्यप्रदेश द्वारा उपलब्ध कराई गई है।

3. Migration (विस्थापन) तीन प्रकार के हो सकते हैं-

3.1 Intra Local Body Migration (स्थानीय निकाय के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान में विस्थापन) - इस हेतु Migrate Families with in the same Local body विकल्प का उपयोगकर स्थानीय निकाय द्वारा परिवार को स्थानीय निकाय के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित किया जा सकता है।

नोट- विस्थापन उपरांत परिवार की बी.पी.एल./श्रमिक संवर्ग/बी.पी.एल. एवं श्रमिक संवर्ग की श्रेणी स्वतः समाप्त नहीं होगी। अतः स्थानीय निकाय विस्थापित परिवार की बी.पी.एल./श्रमिक संवर्ग/ बी.पी.एल. एवं श्रमिक संवर्ग के स्टेटस को नियमानुसार स्वयं परिवर्तित करने का निर्णय लेंगे।

3.2 Intra District Migration (जिले के भीतर एक स्थानीय निकाय से दूसरे स्थानीय निकाय में विस्थापन) - इस हेतु Accept Migration from other Local Body विकल्प का उपयोग कर संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा परिवार को जिले के दूसरे स्थानीय निकाय से स्वयं के स्थानीय निकाय में विस्थापित किया जा सकता है।

3.3 Inter District Migration (एक जिले से दूसरे जिले में विस्थापन) – इस हेतु Accept Migration from other Districts विकल्प का उपयोग कर संबंधित निकाय द्वारा परिवार को दूसरे जिले से स्वयं के जिले व स्थानीय निकाय में विस्थापित किया जा सकता है।

नोट:—बिंदु 3.2 व 3.3 के अंतर्गत किसी परिवार का विस्थापन करने पर उस परिवार का बी.पी.एल./श्रमिक संवर्ग/बी.पी.एल. एवं श्रमिक संवर्ग का वर्तमान स्टेटस स्वतः ही निष्क्रिय (Disable) हो जायेगा एवं नवीन स्थान (स्थानीय निकाय) पर योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक को अपना उपरोक्त स्टेटस नियमानुसार पुनः सक्रिय (Enable) कराना आवश्यक होगा। नवीन स्थानीय निकाय द्वारा शासन द्वारा प्रचलित नियमों तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करते हुए तथा यथाआवश्यक (अगर आवश्यक हो तो)जाँच-पड़ताल करने के पश्चात् संबंधित परिवार का बी.पी.एल./श्रमिक संवर्ग/बी.पी.एल. एवं श्रमिक संवर्ग का स्टेटस सक्रिय किया जा सकेगा।


4. उपरोक्तानुसार विस्थापन करने से पूर्व संबंधित निकाय को आवेदक से स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र (प्रारूप परिशिष्ट-‘अ’ पर संलग्न) लेना आवश्यक होगा।

5. कन्या के विवाह के उपरांत कन्या की समग्र आई.डी. को उसके परिवार से उसके पति के परिवार में हस्तांतरित करने की कार्यवाही की जाये। यदि कन्या का विवाह म.प्र. में हुआ है तो वर की समग्र परिवार आई.डी. व विवाह दिनांक की आवश्यकता होगी जिससे कि कन्या को उसके वर परिवार में हस्तांतरित किया जा सकेगा।

6. पोर्टल पर परिवार के Migration की प्रक्रिया परिशिष्ट –“ब” पर संलग्न है।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु संबंधित स्थानीय निकायों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

 8/9/15

(अजीत कुमार)  
मिशन संचालक


समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन

पृ. क्रमांक / समग्र / 2015 / 153 / 764

भोपाल, दिनांक 09/09/2015

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग ।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ।
4. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआईसी, भोपाल म.प्र. ।
5. समस्त आयुक्त नगर निगम म.प्र. ।
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत म.प्र. ।
7. समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण म.प्र. ।
8. श्री सुनील जैन, तकनीकी संचालक, एन.आई.सी. भोपाल म.प्र. ।
9. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत म.प्र. ।
10. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका / नगर परिषद म.प्र. ।
11. समस्त जिला सूचना विज्ञान अधिकारी एन.आई.सी. म.प्र. कृपया समस्त स्थानीय निकायों को आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन व प्रशिक्षण उपलब्ध कराने का कष्ट करें।



मिशन संचालक

म.प्र. समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन

समग्र परिवार आई.डी. के विस्थापन हेतु  
स्वप्रमाणित घोषणा पत्र  
प्रारूप

मैं श्री/श्रीमती ..... पिता/पति का नाम श्री.....  
समग्र परिवार आई.डी. .... मोबाइल नम्बर.....  
घोषणा करता/करती हूँ कि मेरा परिवार नवीन जगह विस्थापित हो गया है।

1. मेरा पूर्व का पता :-

मकान नम्बर..... ग्राम/वार्ड .....  
ग्राम पंचायत/जोन..... जनपद पंचायत/नगरीय निकाय.....  
जिला..... म.प्र. था।

2. विस्थापन उपरांत वर्तमान निवास का पता :-

मकान नम्बर..... ग्राम/वार्ड .....  
ग्राम पंचायत/जोन..... जनपद पंचायत/नगरीय निकाय.....  
जिला..... म.प्र. है।

3. विस्थापन का कारण .....

4. समग्र पोर्टल से प्राप्त जानकारी के अनुसार मेरे परिवार व सदस्यों का विवरण  
संलग्न है।

मैं अपने वर्तमान निवास पते पर अपनी समग्र आई.डी. विस्थापित करना  
चाहता/चाहती हूँ।

अभिकथन

उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान के आधार पर सत्य और सही है। इसमें किसी  
तरह की जानकारी असत्य नहीं है और न ही कोई तथ्य छिपाया गया है अतः मेरी  
समग्र आई.डी. को नवीन जगह विस्थापित करने का कष्ट करें।

दिनांक: .....

आवेदक का नाम .....

स्थान: .....

हस्ताक्षर (आवेदक) .....

पावती:

कार्यालय का नाम व सील

दिनांक

## Migration (विस्थापन की प्रक्रिया)

स्थानीय निकाय एस.पी.आर. पोर्टल पर लॉगईन करेंगे व दिये गये विकल्पों में से आवेदन अनुसार कोई एक विकल्प का चयन करें।

Population Register

1. Recover Removed Family/Member
2. Update Head/Relation with Head
3. Migrate Families with in the same Local body
4. Accept Migration from other Local body
5. Accept Migration from other Districts

→ For Intra District Migration (स्थानीय निकाय के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान में विस्थापन)

→ For Intra District Migration (जिले के भीतर एक स्थानीय निकाय से दूसरे स्थानीय निकाय में विस्थापन)

→ For Inter District Migration (एक जिले से दूसरे जिले में विस्थापन)

**SAMAGRA Population Register (समग्र परिवार पंजी)** Links

दूसरे जिले से आए परिवार को आपने स्थानीय निकाय में स्थापित करें

निर्देश :-

1. इस सुविधा को केवल दूसरे जिले से आए परिवार को अपनी स्थानीय निकाय में स्थापित कर सकेंगे।
2. आप परिवार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित करने में पूरी सावधानी रखें।
3. परिवार को स्थापित से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि इस परिवार का कोई भी सदस्य किसी पेंशन योजना में सत्यापित ना हो।
4. यदि इस परिवार का कोई सदस्य पेंशन में सत्यापित है तो उनेह हटा दिया जाएगा।
5. यदि परिवार बीपीएल/एएवाए श्रेणी में आता है तो इस परिवार को विस्थापित करने पर परिवार को बीपीएल/एएवाए श्रेणी से हटा दिया जाएगा।

आपके यहाँ आये नये समग्र परिवार की आई डी : 22233341

पुनः समग्र परिवार आई डी : 22233341

[Show Family Details](#)

परिवार की जानकारी		परिवार के सदस्यों की जानकारी						
जिला : CHHINDWARA	स्थानीय-निकाय: Nagar Palika, DOGAR PARASIA	क्रमांक	समग्र सदस्य आई डी	सदस्य का नाम	उम्र	लिंग	वैवाहिक स्थिति	मुखिया से संबंध
ग्राम पंचायत / ज़ोन : Zone 1, Nagar Palika ज़ोन परासिया	ग्राम / वॉर्ड : WARD NO.15 SINDHI	1	122233341	ABHAY	37	M	Married	Self
गणना ब्रह्मांक नंबर : 18 / 0	मकान नंबर :	2	342233341	PREETI	32	F	Married	Wife
पता : CHHINDWARA	पिन नंबर : 480441	3	562233341	RAJESH	2	M	Unmarried	Son
समग्र परिवार आई डी : 22233341	परिवार के मुखिया का नाम : Abhay							
परिवार की श्रेणी : OBC	सदस्यों की संख्या : 3							
जाति वर्ग : OBC	धर्म : Hindu							

अन्य जानकारी

बी पी एल कार्ड की जानकारी	परिवार के पेंशन प्राप्त करने वाले सदस्यों की जानकारी
बी पी एल वर्ग : 0	कार्ड नंबर : ---
बी पी एल सर्वे नंबर :	
	Data Not Available for above request

परिवार को विस्थापित करें

जिला : BHOPAL

स्थानीय निकाय : Nagar Nigam, BHOPAL

ग्राम-पंचायत/ज़ोन : - Select -

ग्राम/वार्ड : - Select -

मकान नंबर : / --Exten:

पिनकोड :

पता :

रिमार्क :

आप परिवार को स्थानांतरण करने जा रहे हैं।, सुनिश्चित करें ?

[दर्ज करें](#)

परिवार जो दूसरे जिले/स्थानीय निकाय से आया है उसे स्वयं के स्थानीय निकाय में शामिल करने हेतु परिवार की 8 अंको की समग्र आई.डी. दो बार प्रविष्ट करें।

परिवार की जानकारी को देखें।

परिवार को जिस ग्राम पंचायत/ज़ोन व ग्राम/वार्ड में शामिल किया जाना है उसका चयन कर पूर्ण पता दर्ज कर परिवार को अपने स्थानीय निकाय में शामिल करें।